



प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुरआदेश सुरक्षित किया गया : 09-01-2025आदेश पारित किया गया: 19-03-2025रिट याचिका सेवा सं 581/2015

धर्मवीर शर्मा पिता श्री बी. आर. शर्मा लगभग 63 वर्ष, व्यवसाय-सेवानिवृत्त-अतिरिक्त कलेक्टर, विद्युत नगर के निवासी, जैन मंदिर के पीछे, दुर्ग, नागरिक तथा राजस्व जिला दुर्ग, सी. जी.

..... याचिकाकर्ता

बनाम

1 - छत्तीसगढ़ राज्य सचिव के द्वारा , सामान्य प्रशासन विभाग, नया मंत्रालय, महानदी भवन, रायपुर, जिला रायपुर, छ.ग.

2 - सचिव, राजस्व तथा आपदा प्रबंधन विभाग, नया मंत्रालय, महानदी भवन, रायपुर, जिला: रायपुर, छ.ग.

3 - कलेक्टर जिला दुर्ग, छ.ग.

..... उत्तरवादीगण

याचिकाकर्ता हेतु: -- श्री सभ्यासाची भादुड़ी, अधिवक्ता।

उत्तरवादीगण हेतु: -- श्री अखिलेश कुमार, शासकिय अधिवक्ता।

माननीय श्रीमती रजनी दुबे, न्यायाधीशसीएवी आदेश

01. इस याचिका में चुनौती दिनांक 23.7.2014 के आदेश (अनुलग्नक पी/2) की वैधानिकता तथा वैधता को लेकर है, जिसके तहत उत्तरवादी संख्या 1 ने याचिकाकर्ता की पेंशन से तीन वर्ष की अवधि के लिए 5% राशि काटने का आदेश दिया था और साथ ही दिनांक 10.12.2014 के आदेश (अनुलग्नक पी/1) को भी चुनौती दी गई है, जिसके तहत उक्त आदेश के विरुद्ध याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अपील को उत्तरवादी संख्या 1 द्वारा पोषणीय न होने के कारण खारिज कर दिया गया था।



02. याचिकाकर्ता का प्रकरण संक्षेप में यह है कि याचिकाकर्ता वर्ष 2010-11 में अपर कलेक्टर, दुर्ग के पद पर पदस्थ था तथा इस अवधि में दुर्ग जिले से दो जिलों बालोद और बेमेतरा का पुनर्गठन हुआ और तब नये जिलों के गठन के कारण पटवारियों के 70 पदों की आवश्यकता थी और पटवारियों की हड़ताल के कारण बालोद जिले में पटवारियों के स्वीकृत 203 पदों में से मात्र 134 पटवारी कार्यरत थे, जबकि बेमेतरा में पटवारियों के स्वीकृत 176 पदों में से मात्र 129 पटवारी कार्यरत थे। उस समय राज्य के निर्देशानुसार पटवारियों को उनके नियमित राजस्व कार्य के अलावा जनगणना, कृषि और चुनाव कार्य करने के निर्देश दिये गये थे। इस प्रकार, पटवारियों की कमी की स्थिति और कार्य की प्रकृति को देखते हुए, उन्हें विभिन्न अन्य पटवारी हलकों का अतिरिक्त कार्यभार संभालने की सलाह दी गई। हालांकि, पटवारी संघ ने इस संबंध में अपनी बैठक की और अतिरिक्त प्रभार लेने से इनकार कर दिया, संभवतः इसलिए कि उन्हें ऐसे अतिरिक्त प्रभार के लिए कोई पारिश्रमिक नहीं मिलता है, और उन्होंने अपना "बस्ता" (अतिरिक्त प्रभार सामग्री) तहसीलदार को सौंप दिया। तदनुसार, तहसीलदार ने अनुलग्नक पी/3 के माध्यम से कलेक्टर को इस बारे में सूचित किया।

03. कलेक्टर ने इसके बाद 6.9.2011 और 24.12.2011 के बीच 70 पटवारियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करने के लिए विभिन्न आदेश जारी किए, हालांकि, इन आदेशों को बाद में 30.12.2011 को आयुक्त के निर्देश पर कलेक्टर द्वारा रद्द कर दिया गया। यहां यह उल्लेखनीय है कि ऐसे अधिकांश स्थानांतरण आदेशों पर कलेक्टर ने स्वयं हस्ताक्षर किए थे, सिवाय कुछ आदेशों के जिन पर कलेक्टर के कहने पर याचिकाकर्ता ने हस्ताक्षर किए थे। एक पटवारी द्वारा सचिव को परिवाद किए जाने पर, सचिव द्वारा दिनांक 10.2.2012 (अनुलग्नक पी/4) को संबंधित कलेक्टर से स्पष्टीकरण मांगा गया था कि प्रतिबंध अवधि के दौरान स्थानांतरण नीति के विपरीत ऐसा स्थानांतरण कैसे किया गया और बदले में, कलेक्टर ने दिनांक 1.3.2012 (अनुलग्नक पी/5) को अपना उत्तर प्रस्तुत किया, जिसमें इन स्थानांतरण आदेशों को जारी करने की आवश्यकता वाले तथ्यात्मक स्थिति को स्पष्ट किया गया था। राज्य शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा दिनांक 12.3.2012 को आयुक्त, रायपुर संभाग को इस मामले की जांच कर दिनांक 16.3.2012 तक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश पर आयुक्त ने अपर आयुक्त (जांच अधिकारी) एवं उप आयुक्त (राजस्व) से जांच कराई, जिन्होंने दिनांक 16.3.2012 को आयुक्त को अपनी जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की (अनुलग्नक पी/6) जिसमें उल्लेख है कि याचिकाकर्ता ने प्रतिबंध अवधि के दौरान बड़े पैमाने पर पटवारियों के स्थानांतरण के प्रस्ताव बनाए थे और स्थानांतरण कलेक्टर के अनुमोदन से किया गया था।

04. आयुक्त की उक्त रिपोर्ट पर कार्यवाही करते हुए याचिकाकर्ता को तत्काल निलम्बित करने का आदेश दिनांक 20.3.2012 (अनुलग्नक पी/7) को जारी किया गया। इसके बाद दिनांक 27.3.2012 को याचिकाकर्ता को दस्तावेजों और गवाहों की सूची के साथ आरोप पत्र (अनुलग्नक पी/8) जारी किया गया, जिसका उत्तर याचिकाकर्ता ने दिनांक 18.4.2012 को विस्तार से दिया (अनुलग्नक पी/9)। हालांकि, उनके उत्तर से संतुष्ट न होने पर उनके विरुद्ध विभागीय जांच शुरू की गई और दिनांक 19.12.2013 को जांच रिपोर्ट (अनुलग्नक पी/10) प्रस्तुत की गई, जिसमें याचिकाकर्ता को दोषी नहीं माना गया और यह दर्ज



किया गया कि राज्य के खजाने को कोई नुकसान नहीं हुआ है। हालांकि, उच्च अधिकारियों ने मनमाने ढंग से जांच रिपोर्ट में दिए गए निष्कर्षों को खारिज कर दिया और याचिकाकर्ता को दोषी करार दिया, जबकि संग्रह को दोषमुक्त करते हुए अनुलग्नक पी/12 के अनुसार भविष्य में ऐसे प्रशासनिक कार्य में सावधानी बरतने की टिप्पणी की। 23.7.2014 को पारित आक्षेपित आदेश द्वारा यह निर्देश दिया गया कि याचिकाकर्ता की पेंशन से तीन वर्ष की अवधि के लिए 5% राशि काट ली जाए। उक्त आदेश के विरुद्ध याचिकाकर्ता ने महामहिम के समक्ष अपील की, हालांकि, इसे अनुलग्नक पी/1 के अनुसार दिनांक 10.12.2014 को पारित आदेश के अनुसार खारिज कर दिया गया, क्योंकि यह सुनवाई योग्य नहीं था। अतः निम्नलिखित अनुतोष हेतु यह याचिका प्रस्तुत की गई है:---

" 10.1 माननीय न्यायालय कृपया उत्तरवादीगण से प्रकरण के सम्पूर्ण अभिलेख मंगाने की कृपा करें।

10.2 माननीय न्यायालय कृपया अनुलग्नक पी-1 और पी-2 में निहित उत्तरवादीगण द्वारा पारित आदेशों को अभिखंडित करने की कृपा करें।

10.4 माननीय न्यायालय मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के अनुसार लागत सहित अन्य आदेश पारित करने की कृपा करें।"

05. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि सम्पूर्ण कार्यवाही, जिसके परिणामस्वरूप आक्षेपित आदेश पारित हुए, निरस्त किए जाने योग्य हैं, क्योंकि वे न केवल अवैध हैं, बल्कि याचिकाकर्ता के विरुद्ध राज्य प्राधिकारियों के पूर्व-निर्धारित रवैये का परिणाम भी हैं। सभी स्थानांतरण आदेश कलेक्टर द्वारा प्रशासनिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए पारित किए गए थे, जैसा कि कलेक्टर ने स्वयं 1.3.2012 को प्रस्तुत किया था (अनुलग्नक पी/5)। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि स्थानांतरण नीति केवल एक कार्यकारी निर्देश है, जिसका कोई विधिक बल नहीं है। इसके अलावा, नीति का छत्तीसगढ़ भू-अभिलेख मैनुअल में निहित नियमों के विरुद्ध कोई प्रभाव नहीं था। यह स्थापित विधि है कि सरकार द्वारा जारी स्थानांतरण नीति का कोई वैधानिक समर्थन नहीं है और ये केवल दिशा-निर्देश हैं और किसी भी नीति या दिशा-निर्देश या परिपत्र के प्रावधान किसी भी वैधानिक प्रावधान को अधिभावी नहीं कर सकते हैं। पटवारियों को एक उप-विभाग से दूसरे उप-विभाग में स्थानांतरित करने का अधिकार कलेक्टर को है और याचिकाकर्ता केवल एक अनुशंसा प्राधिकारी है। कलेक्टर ने स्वयं ही निरस्तीकरण आदेश पारित किए, जिन्हें बाद में ऐसे आदेशों के खिलाफ दायर कई रिट याचिकाओं में उच्च न्यायालय द्वारा अभिखंडित कर दिया गया। विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि जांच रिपोर्ट में याचिकाकर्ता को आरोपों से मुक्त कर दिया गया था और यह अभिनिर्धारित किया गया था कि राज्य के खजाने को कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन उत्तरवादी अधिकारियों द्वारा मनमाने ढंग से उक्त निष्कर्षों पर भरोसा नहीं किया गया और याचिकाकर्ता की पेंशन से तीन वर्षों के लिए 5% कटौती का आक्षेपित आदेश पारित किया गया है, जबकि पेंशन नियम और सीसीए नियम अधिकारियों को पेंशन राशि रोकने का प्रावधान या अधिकार नहीं देते हैं। इस प्रकार याचिकाकर्ता की पेंशन से 5% कटौती करने वाली उत्तरवादी अधिकारियों की कार्रवाई



किसी अधिकार क्षेत्र के बाहर है और पेंशन नियमों के विपरीत है। राज्य अधिकारियों ने एक ओर कलेक्टर को दोषमुक्त करके, जिसने स्थानांतरण आदेश रद्द करने का आदेश जारी किया था, गंभीर अवैधता की है और दूसरी ओर याचिकाकर्ता को दंडित किया है, जो न तो ऐसे स्थानांतरण आदेश जारी करने या उन्हें रद्द करने के लिए जिम्मेदार था। उनकी कार्यवाही भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का पूरी तरह से उल्लंघन है। अतः, आक्षेपित आदेश अपास्त किए जाने योग्य हैं। **लव निगम बनाम चेयरमैन और एमडी, आईटीआई लिमिटेड और अन्य, (2006) 9 एससीसी 440 और डिप्टी जनरल मसनगर (अपीलीय प्राधिकरण) और अन्य बनाम अजय कुमार श्रीवास्तव, (2021) 2 एससीसी 612** के मामलों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों पर भरोसा किया गया है।

06. दूसरी ओर, उत्तरवादी /राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता ने लगभग 70 पटवारियों के स्थानांतरण का प्रस्ताव तब प्रस्तुत किया था, जब वे अतिरिक्त कलेक्टर, दुर्ग के पद पर पदस्थ थे और उक्त स्थानांतरण प्रतिबंध अवधि के दौरान किया गया था। उन्होंने तर्क दिया है कि वर्ष 2011-12 में प्रतिबंध अवधि के दौरान, स्थानांतरण केवल अत्यंत आवश्यक स्थिति में ही मुख्यमंत्री के पत्र दिनांक 8.8.2011 (रिट याचिका के पृष्ठ क्रमांक 38) के माध्यम से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद मुख्य सचिव के माध्यम से और उनके समन्वय में किया जा सकता था। हालांकि, याचिकाकर्ता ने प्रतिबंध अवधि के दौरान पटवारियों के स्थानांतरण के लिए उचित प्रक्रिया और प्रक्रिया का पालन नहीं किया। रामनरेश टंडन द्वारा प्रमुख सचिव, राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग, रायपुर को पत्र दिनांक 7.2.2011 (अनुलग्नक आर / 2) के माध्यम से की गई शिकायत पर, आयुक्त, रायपुर को पत्र दिनांक 12.3.2012 (अनुलग्नक आर / 3) के माध्यम से इस मामले की जांच करने के निर्देश दिए गए थे। राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि दिनांक 16.3.2012 की जांच रिपोर्ट (अनुलग्नक पी/6) से यह प्रतीत होता है कि प्रतिबंध अवधि के दौरान किए गए ऐसे स्थानांतरण के कारण, जिला दुर्ग में पटवारी के सभी पद भर गए थे, लेकिन इससे दो नवगठित जिलों (बेमेतरा और बालोद) में पटवारी के पद की बड़ी रिक्तता हो गई। अतः याचिकाकर्ता का कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3 का उल्लंघन है, इसलिए दिनांक 20.3.2012 के आदेश द्वारा उसकी सेवाएं सीसीए नियम, 1966 के नियम 9(1)(ए) के अनुसार निलंबित कर दी गई। इसके बाद, याचिकाकर्ता के विरुद्ध एक विभागीय जांच की गई और दिनांक 19.12.2013 को जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। हालांकि, जांच प्राधिकारी के निष्कर्षों से असहमति जताते हुए, दिनांक 23.7.2014 के आदेश द्वारा यह निर्देश दिया गया कि याचिकाकर्ता की पेंशन से तीन वर्षों के लिए 5% राशि काट ली जाए, क्योंकि वह 31.3.2012 को पहले ही सेवानिवृत्त हो चुका था और इसके लिए लोक सेवा आयोग की सहमति 6.6.2014 को ही प्राप्त कर ली गई थी। कटौती का आदेश सीजी सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1976 के नियम 9 के अनुरूप है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि जांच प्राधिकारी की रिपोर्ट अनुशासनात्मक प्राधिकारी के लिए बाध्यकारी नहीं है और इस प्रकार, असहमति सीसीए नियम, 1966 के नियम 15 के अनुसार थी। अनुशासनात्मक प्राधिकारी ने असहमति के अपने कारणों को दर्ज किया है और अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश एक स्पष्ट, न्यायसंगत और उचित आदेश है। जहां तक याचिकाकर्ता द्वारा माननीय राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत



अपील का प्रश्न है, सामान्य प्रशासन विभाग के दिनांक 5.1.2000 के परिपत्र के अनुसार नियम 9(2)(1) के अंतर्गत पारित आदेश अपने आप में अंतिम आदेश है तथा नियमानुसार ऐसे आदेश के विरुद्ध कोई अपील नहीं की जा सकती है। अतः दिनांक 10.12.2014 के पत्र के माध्यम से याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अपील को उचित विचार के बाद खारिज कर दिया गया है। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान याचिका में कोई सार नहीं है तथा इसे खारिज करने योग्य है।

07. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना गया तथा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया गया।

08. इस प्रकरण में यह स्वीकृत स्थिति है कि याचिकाकर्ता एक शासकीय सेवक था, जिसकी नियुक्ति 15.11.1978 को नायब तहसीलदार के पद पर हुई थी, वह वर्ष 2010-11 में अपर कलेक्टर, दुर्ग के पद पर पदस्थ था तथा 31.3.2012 को सेवा से सेवानिवृत्त किया गया था। यह भी विवादित नहीं है कि उसकी सेवानिवृत्ति से पूर्व, प्रतिवादियों ने विभागीय जांच शुरू की थी तथा उसे तीन वर्ष की अवधि के लिए 5% पेंशन की कटौती का दंड दिया था। याचिकाकर्ता ने इस आदेश के विरुद्ध एक अभ्यावेदन/अपील दायर की, लेकिन उसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा खारिज कर दिया गया था। यह भी विवाद में नहीं है कि इसी मामले में याचिकाकर्ता के उच्च अधिकारी यानी कलेक्टर को अनुलग्नक पी/12 के तहत एक साधारण चेतावनी देकर दोषमुक्त कर दिया गया था। यह भी एक स्वीकृत तथ्य है कि याचिकाकर्ता ने कुछ पटवारियों के स्थानान्तरण का प्रस्ताव रखा था और अंतिम आदेश तत्कालीन कलेक्टर द्वारा जारी किया गया था। दिनांक 28.5.2014 (अनुलग्नक पी/12) के आदेश के अनुसार कलेक्टर के विरुद्ध की गई जांच को समाप्त कर दिया गया, जो इस प्रकार है:

छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय महानदी भवन,

नया रायपुर

// आदेश //

दिनांक 28/05/14.

कमांक ई-2-6/2012/1/2 यतः श्रीमती रीना कंगाले, भा.प्र.से. की कलेक्टर दुर्ग की पदस्थी के दौरान उनके विरुद्ध मुख्यतः निम्नानुसार दो बिन्दुओं पर शिकायत प्राप्त हुई थी-

1. उन्होंने माह नवम्बर 2011 एवं दिसम्बर 2011 में पटवारियों के स्थानान्तरण आदेश जारी किये, जबकि सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा वर्ष 2011-12 में जारी स्थानान्तरण नीति के तहत इस अवधि में स्थानान्तरण करना प्रतिबंधित था।

2 भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2011 में भूमि व्यपवर्तन हेतु " उप खण्ड अधिकारी" को विलोपित कर" सक्षम अधिकारी" को अधिकार दिये गये थे. परन्तु उन्होंने भूमि व्यपवर्तन करने हेतु अनुविभागीय अधिकारी (रा) को सक्षम प्राधिकारी नियुक्ति संबंधी आदेश जारी किया। 2/ यतः प्रकरण में राजस्व विभाग के अभिमत अनुसार श्रीमती रोना कंगाले. तत्कालीन कलेक्टर दुर्ग ने छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, द्वारा वर्ष 2011-12 की जारी स्थानान्तरण नीति के तहत माह नवम्बर 2011 एवं



दिसम्बर 2011 में प्रतिबंध अवधि में पटवारियों के स्थानान्तरण आदेश जारी किये गये हैं। इसी प्रकार छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2011 (प्रकाशित छ.ग. राजपत्र क्र. 174 दिनांक 11.5.2011) द्वारा संहिता की बारा 172 में भूमि व्यपवर्तन हेतु सक्षम अधिकारी उप-खण्ड अधिकारी के अधिकार विलोपित होने के बावजूद अधिकारिताविहीन भूमि व्यपवर्तन करने हेतु अनुविभागीय अधिकारी (रा) को सक्षम प्राधिकारी की नियुक्ति संबंधी आदेश जारी किया गया है।

3/ यतः प्रकरण में श्रीमती कंगाले ने स्पष्टीकरण दिया है कि पटवारियों के स्थानान्तरण और सक्षम प्राधिकारी की नियुक्ति बाबत आदेश स्थानीय परिस्थितियों और जन समस्याओं को ध्यान में रखकर जारी किये गये जो स्वयं बाद में उनके द्वारा निरस्त किये गये।

4/ प्रकरण के समग्र तथ्यों के परीक्षणोपरान्त पाया गया है कि प्रकरण में कोई गंभीर अनियमितता या बदनियति परिलक्षित नहीं हुई है। अतएव राज्य शासन सुश्री रीना कंगाले, भा.प्र.से. (2003) द्वारा भविष्य में सावधानी रखने का निर्देश देते हुए उनके विरुद्ध प्रचलित शिकायत नस्तीबद्ध करता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

(मुकुन्द गजभिय) अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग

उक्त आदेश के कंडिका 3 एवं 4 से स्पष्ट है कि तत्कालीन कलेक्टर ने स्थानीय परिस्थितियों एवं जन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए पटवारियों के स्थानान्तरण आदेश एवं सक्षम प्राधिकारी की नियुक्ति आदेश जारी किए थे, जिन्हें बाद में कलेक्टर ने निरस्त कर दिया तथा सक्षम प्राधिकारी ने कलेक्टर के विरुद्ध कार्यवाही बंद कर दी, लेकिन याचिकाकर्ता जो कलेक्टर से कनिष्ठ है तथा पटवारियों के स्थानान्तरण के लिए अंतिम प्राधिकारी नहीं है, को तीन वर्ष की अवधि के लिए उसकी पेंशन में से 5% की कटौती का दण्ड दिया गया था।¹⁰⁹ माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने लव निगम (सुप्रा) के मामले में अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा जांच प्राधिकारी के निष्कर्षों से असहमत होने से पहले अपराधी को कारण बताओ जारी करने की आवश्यकता के विवाद्यक पर अपने पहले के निर्णयों का संदर्भ देते हुए अपने आदेश के कंडिका 13 में निम्नानुसार टिप्पणी की:

"13. हमने अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस के अंश पहले ही उद्धृत कर दिए हैं। यह स्पष्ट है कि अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा जांच अधिकारी के तथ्यात्मक निष्कर्ष से भिन्न अपने अंतिम निष्कर्ष दर्ज करने से पहले कोई नोटिस नहीं दिया गया था। कारण बताओ नोटिस प्रस्तावित दंड के विरुद्ध मात्र एक कारण बताओ नोटिस था। अधिकारियों की लंबी कतार को देखते हुए, उच्च न्यायालय के निर्णय को यथावत नहीं रखा जा सकता है। तदनुसार अपील स्वीकार की जाती है और उच्च न्यायालय के निर्णय को अपास्त किया जाता है।

10. अजय कुमार श्रीवास्तव (उपरोक्त) के मामले में माननीय पूर्वोक्त न्यायालय ने अपने निर्णय के कंडिका 26, 32 और 41 में निम्नलिखित टिप्पणी की है:



"26. यह सुस्थापित है कि जहां जांच अधिकारी अनुशासनात्मक प्राधिकारी नहीं है, जांच की रिपोर्ट प्राप्त करने पर, अनुशासनात्मक प्राधिकारी पूर्व द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों से सहमत हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, असहमति के मामले में, अनुशासनात्मक प्राधिकारी को असहमति के कारणों को दर्ज करना होगा और अपराधी को सुनवाई का अवसर देने के बाद अपने स्वयं के निष्कर्ष दर्ज कर सकते हैं यदि अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य ऐसे प्रयोग के लिए पर्याप्त हैं या फिर मामले को आगे की जांच के लिए जांच अधिकारी को भेज सकते हैं।

32. एसबीआई बनाम अजय कुमार श्रीवास्तव, 2018 एससीसी ऑनलाइन ऑल 5987, के आक्षेपित निर्णय में उच्च न्यायालय को जिस दलील ने राजी किया, वह मूल रूप से दो कारणों से है :

32.1. प्रथम, आरोप 1 के संदर्भ में अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा असहमति का निष्कर्ष दर्ज किए जाने से पूर्व, उत्तरवादी अपराधी को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान नहीं किया गया, जिससे उसके प्रति पूर्वाग्रह उत्पन्न हुआ है।

32.2. दूसरे, अनुशासनात्मक प्राधिकारी/अपीलीय प्राधिकारी ने अनुशासनात्मक जांच के अभिलेख की स्वतंत्र रूप से जांच नहीं की है तथा बिना समुचित विचार किए ही एक अनिश्चित आदेश पारित कर दिया है, तथा इसी बात को उच्च न्यायालय ने उत्तरवादी अपराधी पर लगाए गए दंड को निरस्त करने के लिए अपने निर्णय में प्रबल किया है। 41. वर्तमान मामले में, अनुशासनात्मक/अपील प्राधिकारी को कोई निर्णय पारित नहीं करना था, तथापि दिनांक 24-7-1999 के आदेश पारित करते समय, अनुशासनात्मक प्राधिकारी ने जांच के अभिलेख, जिसमें दिनांक 22-5-1999 की स्व-निहित जांच रिपोर्ट और दिनांक 29-6-1999 की अपनी प्रथम दृष्टया राय शामिल थी, को ध्यान में रखा था, जो उत्तरवादी कर्मचारी को उपलब्ध कराई गई थी और सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करने और अपराधी द्वारा उठाई गई लिखित आपत्तियों का समाधान करने के बाद, दिनांक 24-7-1999 के अपने आदेश द्वारा दोष के निष्कर्ष और बर्खास्तगी के दंड को बरकरार रखने में अपने संक्षिप्त कारण व्यक्त किए। इसके अलावा, उत्तरवादी अपराधी द्वारा प्रस्तुत अपील की अपील प्राधिकारी द्वारा जांच की गई, जैसा कि कंडिका 3(i) से (viii) के तहत पता चलता है, जांच अधिकारी द्वारा उत्तरवादी कर्मचारी को सेवा से बर्खास्त करने की अपनी रिपोर्ट में दर्ज किए गए दोष के निष्कर्ष को बरकरार रखते हुए, दिनांक 15-11-1999 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया। विस्तृत चर्चा के बाद, हम उच्च न्यायालय द्वारा अनुशासनात्मक/अपीलीय प्राधिकारी द्वारा पारित आदेशों को खारिज करने के अपने निर्णय के तहत दर्ज निष्कर्ष को स्वीकार करने में असमर्थ हैं, जो खारिज किये जाने योग्य है।"

11. उपरोक्त निर्णयों के आलोक में, वर्तमान मामले में भी यह स्पष्ट है कि जांच अधिकारी ने अपनी जांच रिपोर्ट (एक्स.पी/10) में याचिकाकर्ता को सभी आरोपों से मुक्त कर दिया है। इस रिपोर्ट का मुख्य भाग इस प्रकार है:

"इसी तरह अपचारी अधिकारी द्वारा पटवारियों के स्थानांतरण प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय शासन के आदेश एवं निर्देशों का बिना भली-भाती अध्ययन किये बेमेतरा अनुविभाग में पूर्व से ही पटवारियों के 47 पद रिक्त थे,



इसके पश्चात भी बेमेतरा अनुविभाग के 20 और पटवारियों के स्थानांतरण के प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये, जिसके कारण बेमेतरा अनुविभाग में 67 पटवारी पद एवं बालोद अनुविभाग में 72 पटवारी हल्के रिक्त हो गये। जिससे प्रशासनिक अव्यवस्था की स्थिति निर्मित हुई, जिसकी जानकारी कलेक्टर को होने पर रिक्त पटवारियों के पद को नियमानुसार भरा जा सकता था ताकि प्रशासनिक कार्यवाही में अव्यवस्था उत्पन्न न हो ऐसी स्थिति में सिर्फ अपर कलेक्टर को दोष सिद्ध किया जाना उचित नहीं है। कलेक्टर पुनः रिक्त पटवारियों के पद को नियमानुसार भरने की कार्यवाही कर सकते हैं। उल्लेखनीय है कि समस्त स्थानांतरण स्वयं के व्यय पर हुए थे, जिससे शासन को कोई आर्थिक क्षति नहीं हुई है। उपरोक्तानुसार प्रतिवेदन प्रेषित है।"

हालांकि, सक्षम प्राधिकारी जांच प्राधिकरण के निष्कर्षों से सहमत नहीं थे और दिनांक 23.7.2014 के आदेश (अनुलग्नक पी/2) द्वारा याचिकाकर्ता को तीन वर्षों के लिए उसकी पेंशन में 5% की कटौती का दंड दिया। उक्त आदेश में सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह भी देखा गया है कि कलेक्टर की ओर से चूक का संज्ञान लेना और उस पर अपना विचार व्यक्त करना सरकार के अधिकार क्षेत्र में है। इस आदेश के कंडिका 3, 4 और 5 सुसंगत होने के कारण नीचे पुनः प्रस्तुत किए गए हैं:

"3/ जांचकर्ता प्राधिकारी, अपर आयुक्त, रायपुर संभाग, रायपुर से ज्ञापन दिनांक 20.12.2013 द्वारा जांच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। जांचकर्ता प्राधिकारी ने अपने जांच प्रतिवेदन में श्री शर्मा पर लगाए गए आरोप को उचित नहीं पाया है।

4/ जांचकर्ता प्राधिकारी द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन एवं प्रकरण में विद्यमान तथ्यों का सुसंगत दस्तावेजों के साथ परीक्षण किया गया। परीक्षण में पाया गया कि जांचकर्ता अधिकारी द्वारा बिना कलेक्टर का पक्ष लिए कलेक्टर के विरुद्ध कोई निष्कर्ष निकालना अनुचित है। जांचकर्ता अधिकारी को अपना निष्कर्ष अपचारी अधिकारी तक सीमित रखना चाहिए था। इस प्रकार जांचकर्ता अधिकारी का निष्कर्ष सही नहीं है एवं अपचारी अधिकारी श्री धरमवीर शर्मा (रा०प्र०से०) अपने दायित्वों के निर्वहन में असफल होने के कारण पूर्णतया दोषी है। कलेक्टर की त्रुटि का संज्ञान लेना एवं उस पर View लेना शासन का काम है। अतः जांचकर्ता प्राधिकारी के जांच प्रतिवेदन से असहमत होते हुए इस विभाग के परिपत्र दिनांक 20.08.1992 में विहित व्यवस्था अनुसार जांच प्रतिवेदन पर अपचारी अधिकारी श्री शर्मा का अभ्यावेदन दिनांक 10.04.2014 को प्राप्त किया गया, जो समाधानकारक नहीं पाया गया। 5/ श्री शर्मा अपनी अधिवार्षिकी आयु दिनांक 31.03.2012 को पूर्ण कर शासकीय सेवा से सेवानिवृत्त हो गये हैं। अतः उपर्युक्त विवेचना के आधार श्री धरमवीर शर्मा, सेवानिवृत्त राज्य प्रशासनिक सेवा की पेंशन से 5 प्रतिशत राशि तीन वर्ष के लिये कटौती करने का अनंतिम निर्णय लेते हुए लोक सेवा आयोग से सहमति प्राप्त करने हेतु आयोग को प्रस्ताव दिनांक 20.05.2014 को प्रेषित किया गया। प्रस्ताव पर लोक सेवा आयोग ने दिनांक 06.06.2014 को सहमति व्यक्त की है।"

12. दिनांक 28.5.2014 के आदेश (अनुलग्नक पी/12) से यह भी स्पष्ट है कि इसी मामले में तत्कालीन कलेक्टर, जो पटवारी के स्थानांतरण के लिए अंतिम प्राधिकारी हैं, को कोई दंड नहीं दिया गया, उनके विरुद्ध



कोई विभागीय जांच शुरू नहीं की गई, बल्कि उनके विरुद्ध शिकायत दर्ज की गई, लेकिन याचिकाकर्ता, जो अतिरिक्त कलेक्टर थे और जिन्होंने पटवारी के स्थानांतरण के लिए केवल कुछ प्रस्ताव रखे थे, को दंड दिया गया। यह भी स्पष्ट है कि आरोपित दंड आदेश पारित करने से पहले सक्षम प्राधिकारी द्वारा याचिकाकर्ता को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया, जबकि स्थापित कानूनी स्थिति को देखते हुए, अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा असहमति दर्ज किए जाने से पहले, दोषी को सुनवाई का उचित अवसर दिया जाना चाहिए। इस प्रकार, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, जिस तरह से याचिकाकर्ता के विरुद्ध पूरी जांच की गई और सक्षम प्राधिकारी ने दंड आदेश पारित किया और यह भी तथ्य कि याचिकाकर्ता वर्ष 2012 में पहले ही सेवानिवृत्त हो चुका है, इस न्यायालय की राय है कि दिनांक 10.12.2014 (अनुलग्नक पी/1) और 23.7.2014 (अनुलग्नक पी/2) के आक्षेपित आदेश अपास्त किए जाने योग्य हैं।

13. उपरोक्त चर्चाओं के आधार पर, रिट याचिका को स्वीकृति दी जाती है और आक्षेपित आदेशों (अनुलग्नक पी/1 और पी/2) को आगामी परिणामों के साथ अपास्त किया जाता है।



सही/
(रजनी दुबे)
न्यायाधीश

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु

किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य

प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक



*प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और
कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*

